


05/03/2018

पत्राचार की सेवा वकील उमर पक्ष उपरी
 प्रतिवादी के अधिवक्ता नं प्रप 022
 R 9. 4 CPC के तहत सब दस्तावेज
 प्राप्त किए जाते हैं कि विचार की वस
 में प्रतिपक्ष 4 लेहरी वार्ड को पक्षकार बनाया
 गया है इसकी मूल्य नं 2.8.16 की चुकी है
 जिसकी जांचाची वादी पक्ष को शुरू है
 और इसके बावजूद 14 दिन बाद दस्तगुत वा
 नं 16.8.16 को दायर किया गया है
 लेहरी वार्ड के वाजिब जमानत का हवा 4.2.16
 18.1.2017 को मुक्त लेहरी वार्ड का मुद्दा
 प्रमाण पत्र की पक्ष का है कि सिविल वार्ड
 6 माह गुजर जाने के उपरान्त भी मुक्त
 लेहरी वार्ड के विधिक मामला के पक्षकार
 बनाए जाते हैं वापवाही नहीं की गई है
 इसलिए आपसे मुकाम पत्राचार के अभाव
 में इतना वाद अवेर होगे कि इसी हेतु पत्र
 शारीज फलसाफा जाये।

वादी की ओर से प्रप 022 का जवाब
 प्राप्त नहीं किए जाते हैं सोच बरख चुकी
 गई। साथ अधिवक्ता वादी नं बनाए गए कि
 वादी लाहौर की ओर से दावा 89, 188 के तहत
 विजिल प्रतिवादी उक्त पत्राचार किया गया है।


 5/3/18

उपखण्ड अधिकारी
 भदोसर, चित्तौड़गढ़



